संख्या-01/2021/480/33-2-2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष,
समस्त जिला पंचायतें
उत्तर प्रदेश ।

2- अपर मुख्य अधिकारी,
समस्त जिला पंचायतें,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी 2021

विषय- जिला पंचायतों द्वारा निर्मित किये जाने वाले कार्यों में इंटरलाकिंग (पेवर ब्लाक) प्रयोग किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

बी0आर0जी0एफ0 योजान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-754/33-पी0एम0यू0/2010 दिनांक 14-01-2010 एवं तदनुक्रम में जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक द्वारा निर्गत पत्र संख्या-3852/33-सेल/2018 दिनांक 24 दिसम्बर 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसे जिला पंचायतों में राज्य वित्त आयोग योजना के लिए ही लागू मानते हुए सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु केवल लेपन, सी0सी0 व खड़न्जा ही स्वीकृत किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

2 उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन मार्गों के निर्माण हेतु खड़न्जा निर्माण सामग्री के रूप में अनुमन्य है, उन मार्गों के निर्माण हेतु इन्टरलाकिंग (पेवर ब्लाक) का प्रयोग किये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य हेतु IRC:SP:63-2004 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी का होगा।

**भवदीय,**

**मनोज कुमार सिंह**
**अपर मुख्य सचिव।**

संख्या : 01/2021/480(1)/33-2-2021 तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव मा0 मंत्री पंचायती राज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
4- निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश ।
5- उपनिदेशक जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक ।

**आज्ञा से**

**अजीत कुमार सिन्हा**
**अनु सचिव ।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in